मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2014 (16 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 एवं 21) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 92 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य ने इन्दौर शहर में ध्वनि प्रदूषण होने,

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में उद्योगों द्वारा दूषित जल को जमीन में छोड़े जाने,

(3) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के सुमावली थाने में विद्युत तारों के टूटने से भैंसों की मौत होने,

(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने नागदा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जे किये जाने,

(5) श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा, सदस्य ने सोनकच्छ के ग्राम पीपलरावां मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त होने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले की लहार तहसील के नारदेश्वर मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने,

(7) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सिंगरौली एवं सीधी जिलों में आदिवासी विकासखण्ड परियोजना में गंभीर अनियमितता होने,

(8) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य ने रीवा के ग्राम गुढ़वा के वार्ड क्र. 10 व 11 में नाली निर्माण न होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

3. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, सदस्य तथा सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने शिवपुरी एवं विदिशा जिले में रावत जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र न दिये जाने की ओर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, राजेन्द्र पाण्डेय, दिलीप सिंह परिहार तथा श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्यगण ने धार जिले के लेबड़ से नयागांव तक फोरलेन सड़क निर्माण में दिये गये सुझाव का पालन न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(2) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(5) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडवोकेट) (जिला-मुरैना)
(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(7) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-उज्जैन)

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

6. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री महोदय से संबंधित विभागों की अनुदान मांगें परम्परानुसार एकजाई रुप से प्रस्तुत की जाएंगी तथा चर्चा के पश्चात् संबंधित अधिकृत राज्य मंत्रियों द्वारा जवाब दिया जाएगा.

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन के लिए छ: सौ छ: करोड़, पाँच लाख, उनचालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए तीस करोड़, छियासी लाख, चौहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 26	संस्कृति के लिए एक सौ सैंतीस करोड़, चार लाख, उन्नयासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 37	पर्यटन के लिए एक सौ बासठ करोड़, पॉच लाख, नब्बे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार दो सौ उन्नयासी करोड़, चौंरासी लाख, अड़सठ हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए इक्कीस करोड़, इक्यावन लाख, तैंतीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री विश्वास सारंग

(अपराह्न 1.00 से 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री बाला बच्चन
(4) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री शैलेन्द्र जैन
(7) डॉ. मोहन यादव

सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.

(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्री रामेश्वर शर्मा
(10) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(11) श्री देवेन्द्र वर्मा
(12) श्री बहादुर सिंह चौहान
(13) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(14) श्रीमती ऊषा चौधरी
(15) श्री दिनेश राय “मुनमुन”
(16) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(17) श्री जालम सिंह पटेल
(18) श्री हरदीप सिंह डंग

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन तथा श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 5.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2014 (17 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 7 जुलाई, 2014